

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 1981/चैत्र 28, 1903

No. 154] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 1981/CHAITRA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

निर्माण और जांचाई मंत्रालय

जोधितृचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

सा. क. प्र. 300 (अ).—संविधान की धारा 309 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा केन्द्रीय जल प्रयोगशाला (ग्रुप सी. तथा
ग्रुप डी.) भर्ती नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते
हैं नामतः :—

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय जल प्रयोगशाला (ग्रुप सी. तथा ग्रुप डी.)
भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 कहा जाय ।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय जल प्रयोगशाला (ग्रुप सी. तथा ग्रुप डी.) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में :—

प्रयोगशाला सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के स्थान पर काजम 12 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए नामतः :—

“प्रयोगशाला अटेंडेंट से पदोन्नति द्वारा इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा सहित” ।

[संख्या: ए.-12024 (1)80-इ. पी. सी.]

पी. एस. ए. सुन्दरम, निदेशक (नगर विकास)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 1981

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Water Laboratory (Group C and Group D) Recruitment Rules, 1978, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Water Laboratory (Group C and Group D) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Water Laboratory (Group C and Group D) Recruitment Rules, 1978,—

against Serial No. 2, relating to the post of Laboratory Assistant, for the entry under column 12, the following entry shall be substituted, namely :

“By promotion from Laboratory Attendant with 3 years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis”.

[No. A-12024/1/80-EPC]

P. S. A. SUNDARAM, Director (Urban Development)